



DSSSB TGT & PGT



Part-B

SCHOLAR BATCH

POLITY

भारतीय संविधान

भाग 1 एवं 2

Part -7

LIVE

21-05-2024 04:00 PM



मेरिका के
विधान सं
सोधन

मौलिक
अधिकार
भाग-3
12-35

44^{वें} संविधान संशोधन
1978

मौलिक अधिकारों से हटाकर
अनु-300(ब) में स्थापित
किया।

भूत संविधान में मौलिक
अधिकारों के वर्ग थे।

1. समानता का अधिकार 14-18
2. स्वतंत्रता का अधिकार 19-22
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28
5. शिक्षा और संस्कृति अधिकार 29-31
6. सम्पत्ति का अधिकार (31)
7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32

→ संविधान द्वारा सुरक्षित और
सुरक्षित होते हैं

→ राज्य के विद्वद् व्यक्तियों को अधिकार
प्रदान करते हैं

→ भौतिक और नैतिक विकास के लिए
आवश्यक

प्रकृति = नकारात्मक

राज्य की शक्तियों पर सीमाएं भंग
करते हैं

अनु. 12 = राज्य की परिभाषा

सरकारी कार्य स्थानांतरित
सर्वजनिक महत्व
राज्य द्वारा कितना पोषित
राज्य के कर्मचारी पर स्थ

1. संसद एवं संघीय सरकार
2. राज्य का विधानमण्डल एवं राज्य सरकारें
3. स्थानीय सरकारें
4. अन्य प्राधिकरण

ग्राम पंचायत
नगर पंचायत

अनु. 13) अन्य विधियाँ ऐसी मौलिक
अधिकारों की सुरक्षा की
गारंटी

संविधान पूर्व
विधियाँ

संविधान
पर्याप्त विधियाँ

न्यायिक पुनरीक्षण की
शक्ति प्रदान करता है

अनु. 14 (राज्य)

"विधि के समक्ष समता"

"विधियों के समान संरक्षण"

व्यक्तियों को वंचित नहीं
करेगा।

नागरिकों के साथ -
साथ और नागरिकों को
भी प्राप्त।

कानून के समक्ष सभी समान हैं
कोई भी कानून से बड़ा नहीं है

ब्रिटेन के संविधान
प्रो. डायरी = Rule of
नकारात्मक law

"विशेषाधिकार
मनाही

कानून समान परिस्थितियों
में समान और असमान पर
असमान व्यवहार कर सकता है

नकारात्मक
अर्थ में

अनु(15)
9

पावधान

केवल भारतीय नागरिकों
को प्राप्त

राज्य अपने नागरिकों के साथ
केवल

1. धर्म (Religion)
2. मूलवंश (Race)
3. जाति (Caste)
4. लिंग (Gender)
5. जन्मस्थान (Birth place)

या इनमें से किसी
भी एक आधार पर
कोई भेदभाव नहीं
करेगा।

केवल
भारतीय नागरिक

अनु(15)
3

लोकनियोजन
(Public employment)
में सभी को समान अवसर प्रदान
किये जायेंगे।

राज्य भेदभाव नहीं
करेगा।

धर्म
मूलवंश
जाति
लिंग
जन्मस्थान
रक्तसमूह (बंराक)
विवाहस्थिति